

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 26489/2018 धापा देवी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकाथिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकाथिया द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकाथिया वर्तमान में राउमावि, कामखेड़ा, ब्लॉक-मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ में अध्यापक लेवल II के पद पर कार्यरत हैं। याचिकाथिया के कथनानुसार याचिकाथिया की नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन दिनांक 12.09.2012 को राउप्रावि, महाराजपुरा, ब्लॉक-मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ में अध्यापक लेवल II के पद पर हुई थी। याचिकाथिया वर्तमान में नियम 6-डी के तहत समायोजित होकर अध्यापक लेवल II (गणित/विज्ञान) के पद पर राउमावि, कामखेड़ा, ब्लॉक-मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ में पदस्थापित हैं। याचिकाथिया का गृहजिला हनुमानगढ़ है। अतः याचिकाथिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर झालावाड़ जिले से हनुमानगढ़ जिले (गृह जिला) के विद्यालयों में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकाथिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के अनुसार अध्यापक लेवल II का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। अध्यापक लेवल II का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। अध्यापक लेवल II के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वर्गवार एवं जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकाथिया द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकाथिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।



(काना राम)

आई.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 22/02/22

क्रमांक- शिधिरा-भा./संस्था/एफ-2/को.के./जय/13523/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, झालावाड़
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
4. सयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
5. याचिकाथिया धापा देवी, अध्यापक लेवल II, राउमावि, कामखेड़ा, ब्लॉक-मनोहरथाना, जिला- झालावाड़ : (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

  
सयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)